छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छठवीं मंजिल, टॉवर "सी" कमर्शियल कॉम्पलेक्स,
सी.बी.डी. सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002
दूरभाष : 0771–2425411 / 2425412

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत् निविदा

प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 1000 / –
(राशि अप्रतिदेय)

क्रमशः.....2

कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवीं मंजिल, टॉवर "सी" कमर्शियल कॉम्पलेक्स,
सी.बी.डी. सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत् निविदा की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	3
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें	4 से 11
03	भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु	12 से 13
04	भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु	14 से 16
05	इकरारनामा	17 से 20

1) छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा अल्पकालीन मैनुआल–निविदा के माध्यम से कैन्टीन संचालन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है:–

Bid start Date	22-01-2021	11:00 AM
Bid Due Date	30-01-2021	05:00 PM
Bid Open Date	01-02-2021	12:00 PM

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

सचिव
विपणन संघ

क्रमशः.....3

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री / सुश्री..... पिता / पति का नाम.....
2.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	....
3.	जिला का नाम	.....
4.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1000.00 / – (वस्तु एवं सेवा कर सहित) (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)
5.	निविदा फार्म नगद क्रय की जानकारी	मनी रसीद नंबर .....दिनांक.....
6.	यदि वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो संलग्न डीमान्ड ड्राफ्ट का विवरण	डीमान्ड ड्राफ्ट नंबर..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 30.01.2021 को अपरान्ह 5.00 बजे तक।
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 01.02.2021 अपरान्ह 12.00 बजे। स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 21, नवा रायपुर अटल नगर

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, निविदाकार द्वारा निविदा टेंडर बॉक्स में डाला जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1 से 20 तक है ।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

क्रमशः.....4

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली अनुबंध के भाग होंगे :–

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छटवी मंजिल में कैन्टीन संचालन हेतु तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुए लाईसेंस प्रदाय किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 3–3 माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

2. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम निविदा दर का निर्धारण किया जावेगा। निविदा के वित्तीय प्रपत्र में निविदाकार द्वारा वास्तविक मूल्य एवं रियायती मूल्य भरा जावे, जिस निविदाकार की अधिकतम सामग्रियों में रियायती दर न्यूनतम होगी उससे निगोशियेशन उपरांत कार्यादेश जारी किया जावेगा।

3. विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "क") को एक लिफाफे में बंद कर एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "ख") को अलग–अलग लिफाफे में उक्त दोनो तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

4. <u>निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड में ऑनलाईन संलग्न करें</u> :–

4.1 निविदा फार्म का शुल्क रू. 1,000/– (एक हजार रूपये) है। निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म का शुल्क रू. 1,000/– (एक हजार रूपये) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) पृथक से संलग्न करना होगा या विपणन संघ मुख्यालय रो रूपये 1,000/– जमा कर दिनांक 22.01.2021 से 30.01.2021 तक किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय से प्राप्त किया जा सकता है।

4.2 निविदाकार को अमानत राशि रू. 20,000.00/– (बीस हजार रूपये) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

4.3 निविदाकार के पास किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिन संचालित संस्थान/बैंक अथवा ख्याति प्राप्त निजी संस्था में कम से कम तीन वर्ष का कैन्टीन संचालन करने का अनुभव होना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (जिसमे तिथि DD-MM-YYYY से DD-MM-YYYY तक का पूर्ण उल्लेख हो) प्रस्तुत किया जावेगा।

क्रमशः.....5

4.4 निविदाकार को विगत तीन वर्षों क्रमशः वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में से किन्ही दो वर्षों का सी.ए. द्वारा प्रमाणित आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **स्व–सहायता समूहों को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान किया जावेगा।**

4.5 तकनीकी योग्यता के मापदंड के लिए निम्नानुसार तकनीकी दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

i. स्थायी खाता संख्या (पैन)
ii. वस्तु सेवा कर (जी.एस.टी.) पंजीयन प्रमाण पत्र
iii. गुमास्ता लाईसेंस
iv. भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन प्रमाण पत्र
v. तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (जिसमे तिथि DD-MM-YYYY से DD-MM-YYYY तक का पूर्ण उल्लेख हो)
vi. सी.ए. द्वारा प्रमाणित विगत विगत तीन वर्षों क्रमशः 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में से किन्ही दो वर्षों का आयकर विवरणी।

नोटः– 1. **स्व–सहायता समूहों एवं निविदाकार के व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से अधिक नहीं है तो वस्तु सेवा कर (GST) पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदाय किया जावेगा।**

2. **स्व–सहायता समूहों को गुमास्ता लाइसेंस प्रस्तुत करने से छूट प्रदाय किया जावेगा।**

5. निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये। दर स्वीकृति उपरांत उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

6. विपणन संघ मुख्यालय पर अपना संपर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाप्रति अनुबंध के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्य निधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

8. निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

9. **निविदा फार्म भरने के दिशा–निर्देश** :–

9.1 निविदाकार निविदा फॉर्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भर कर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म का मूल्य रू. 1,000/– (वस्तु एवं सेवा कर सहित) होगा। निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म का शुल्क रू. 1,000/– (एक हजार रूपये) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) पृथक से संलग्न करना होगा या विपणन संघ मुख्यालय से रूपये 1,000/– जमा कर दिनांक 22.01.2021 से 30.01.2021 तक किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय से प्राप्त किया जा सकता है।

क्रमशः.....6

9.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

9.3 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

9.4 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जब्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 2 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेंगे।

10. <u>निविदा निष्पादित करना</u> :–

विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी, उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि मे विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 100.00 रूपये (सौ रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ मुख्यालय, अटल नगर रायपुर में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

11. <u>विविध</u> :–

11.1 विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छटवी मंजिल में कैन्टीन संचालन हेतु तीन वर्ष के लिए निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए लाईसेंस प्रदाय किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 3–3 माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

11.2 सफल निविदाकार को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादन किया जाना है। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय करने की असमर्थता मान्य नही की जावेगी अन्यथा आपको विपणन संघ के द्वारा दो वर्षो के लिए ब्लैकलिस्ट किया जावेगा।

11.3 अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहाँ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जावेगा।

11.4 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग कैन्टीन व्यवस्था के लिए किया जावेगा एवं किसी भी परिस्थिति में संघ मुख्यालय परिसर का उपयोग अपने कर्मचारियों को ठहराने के लिए नही करेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा जो सामजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।

11.5 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके आसपास मादक पदार्थो का उपयोग एवं मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11.6 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

11.7 निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11.8 निविदाकार को सेवाओ की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नहीं होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नहीं किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

क्रमशः.....7

11.9 निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कंडिका कमांक 12 में उल्लेखित सुविधाएँ एवं सेवा उपलब्ध करावी जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करायेगा। इस हेतु वित्तिय निविदा में वास्तविक एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। विपणन संघ द्वारा भाग 'ख' में प्रस्तावित 53 सामग्रियों में जिस निविदाकार का अधिकत सामग्रियो में रियायती दर न्यूनतम होगी उसे ही निविदा प्रदान की जावेगी।

11.10 निविदाकार द्वारा सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

11.11 निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगो को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

11.12 निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति कैन्टीन से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

11.13 निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विकय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नहीं करेगा।

11.14 निविदाकार, भू–खण्ड या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तो और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावे।

11.15 निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

11.16 निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

11.17 निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

11.18 निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में, विपणन संघ के बैठकों में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विकय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा। आवश्यकतानुसार उपरोक्तानुसार समय में परिवर्तन का अधिकार सचिव विपणन संघ के पास रहेगा।

11.19 निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टॉफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है :–

क्रमशः.....8

i स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

ii स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

iii स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

iv स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत् परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

v स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

vi स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहकों से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये तथा किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

ix स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की संपूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

11.20 सभी खाद्य पदार्थो को पकाने/तैयार करने में परिष्कृत सूरजमुखी/सोयाबीन/मुंगफली/राईस ब्रान ऑयल (एगमार्क/एफ.ए.ओ. से प्रमाणित), स्टैण्डर्ड क्वालिटी का दूध (भैंस/गाय), चाय की पत्तियॉ/पाउडर, कॉफी पाउडर का ही उपयोग किया जावेगा। निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच कैन्टीन संचालन समिति द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

11.21 निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा। उक्त हेतु स्व–सहायता समूहों को छूट प्रदाय किया जावेगा।

11.22 निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमो के अनुरूप विभिन्न विभागो से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

11.23 निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

11.24 निविदाकार द्वारा केटिंन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

11.25 निविदाकार द्वारा अपने ग्राहको को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

11.26 निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

11.27 निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी । इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय कैन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जावेंगे।

11.28 निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कंट्रोल किया जावेगा।

11.29 निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

11.30 निविदाकार द्वारा कैन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

क्रमशः.....9

11.31 निविदाकार द्वारा कैन्टीन की नियमित साफ–सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (canteen premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है। किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिए एवं किसी भी प्रकार की greasy surfaces से मुक्त होनी चाहिए।

11.32 निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानो द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम , रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पॉलिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

11.33 निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या "ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

11.34 निविदाकार (कैन्टीन आपरेटर) यदि सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे निविदाकार के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

11.35 अनुबंध की शर्तो में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओ/ खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है अथवा अनुबंध की शर्तो का पालन न करने की स्थिति में प्रबंध संचालक को कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

11.36 निविदाकार अपनी इच्छा से कम से कम 30 कैलेण्डर दिवस पहले अनुबंध को समाप्त करने के इरादे से विपणन संघ को लिखित नोटिस देना होगा।

11.37 विपणन संघ द्वारा प्रतिदिन 300–400 कप चाय/कॉफी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.38 सप्ताहिक मेनू एक सप्ताह पहले तैयार किया जाकर विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

11.39 निविदाकार का प्रतिष्ठान का कार्यालय रायपुर अथवा नवा रायपुर अटल नगर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

11.40 निविदा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक वैध रहेगी।

11.41 जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर कार्य करने के लिये अनुबंध करना होगा। निष्पादित किए गए निर्धारित अनुबंध की अवधि के समाप्ति के पश्चात एवं कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 3–3 माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

12. <u>विपणन संघ निविदाकार को निम्नलिखित सुविधाएँ एवं वस्तुएँ प्रदान करेगा</u> :–

12.1 कैन्टीन सेवाओं के संचालन के लिए स्थान (वर्तमान में 47 वर्गमीटर)

12.2 बिजली (केवल रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राईंडर एवं ओवन के उपयोग हेतु)

12.3 धोने एवं पीने के लिए पानी।

12.4 फर्नीचर, एयर कंडिशनर, चिमनी एवं अन्य बुनियादी ढाँचा।

13. दण्ड :–

13.1 निविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखन में किसी भी गंभीर चूक के लिए तथा मिलावट आदि के लिए निविदाकार पर जुर्माना लगाने का अधिकार विपणन संघ के पास रहेगा।

13.2 किसी भी स्थिति में कैन्टीन परिसर गंदा दिखाई पड़ने पर या कैन्टीन कर्मचारी आबंटित कार्य करने में लापरवाही कर रहे है, तो उनके मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना संबंधित महीने के लिए लगाया जाएगा।

13.3 निविदाकार को मेनू, भोजन की आवृत्ति सेवा और कैन्टीन के समय के संबंध में विपणन संघ कैन्टीन संचालन समिति के निर्देशों का पालन करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के बदलाव करने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा और ऐसे मामले में विपणन संघ जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अनुबंध भी रद्द कर सकता है।

13.4 निविदाकार द्वारा परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामग्री उचित, ताजी और स्वच्छ होने चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार गुणवत्ता वाले होने चाहिए। विपणन संघ किसी भी समय उल्लेखित किसी भी उल्लंघन मामले में, अनुबंध को समाप्त करने और उपयुक्त जुर्माना लगाये जाने का अधिकार रहेगा।

13.5 भोजन तैयार करने के लिए केवल सर्वोत्तम/ब्रांडेड गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। गैर मिलावटी चीजे, सब्जी, पाउडर, तेल, सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का जांच आवश्यक रूप से समय–समय पर की जावेगी और जहॉ आवश्यक हो सैम्पल की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई जावेगी और परिणाम विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। तेल का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित है। उल्लेखित किसी भी शर्त/निर्देश के उल्लंघन के मामले में अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा और संघ द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

13.6 खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को कैन्टीन संचालन समिति द्वारा किसी भी समय जांच सकता है और यदि उप मानक सामग्री पाई जाती है, तो इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संस्थान के अनुबंध को समाप्त करने तथा जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और संघ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

13.7 अनुबंध के अनुसार स्वीकृत दर को कैन्टीन परिसर में चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध अनुसार खाद्य सामग्री स्वीकृत दर से अधिक राशि नही लिया जावेगा। नियमित निरीक्षण करने तथा दण्ड की प्रकृति का निर्धारण करने और रिपोर्ट करने के लिए कैन्टीन संचालन समिति बनाई जाएगी। कैन्टीन संचालन समिति मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकेगा तथा अनुबंध को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकेगा। मामले में विपणन संघ का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

14. अनुबंध की शर्तो में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य समाग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो कैन्टीन संचालन समिति की अनुशंसा के आधार पर विपणन संघ को निविदाकार पर जुर्माना लगाने तथा अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा।

क्रमशः.....11

15. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में एवं विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा तथा संशोधन/शुद्धि पत्र निविदा भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के पूर्व तक जारी किया जा सकता है।

16. उक्त शर्तो के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 21, सी.बी.डी., कॉम्पलेक्स में कैन्टीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में कैन्टीन संचालन के लिए अनुबंध उभय पक्षो की सहमति से निष्पादित किया जावेगा।

क्रमशः.....12

भाग – "क"

(तकनीकी बीड हेतु)

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत् निविदा प्रपत्र

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.1 निविदाकार का पूरा नाम व पता .....

.....

.....

1.2 निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता .....

.....

.....

1.3 दूरभाष क्रमांक कार्यालय एवं निवास .....

.....

1.4 निविदाकार की फर्म का स्वरूप .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार/
स्व–सहायता समूह)

1.5 यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी .....
के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित
प्रति संलग्न करें)

1.6 फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....
(सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

1.7 फर्म का स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड), ...

1.8 वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र .....

1.9 भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) .....

1.10 वर्तमान में किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त संस्थान/ .....
केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिन संचालित संस्थान .....
तथा बैंक अथवा ख्याति प्राप्त निजि संस्थान में 3 वर्ष .....
का कैन्टीन संचालन करने का अनुभव प्रमाण पत्र .....
(जिसमें पूर्ण तिथि DD-MM-YYYY से .....
DD-MM-YYYY तक) संलग्न करे .....

1.11 विगत दो वर्ष का आयकर विवरणी संलग्न करे .....

.....

.....

क्रमशः.....13

1.12 निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण (संलग्न करें) — रूपये कुल रू. 20,000.00/– डी.डी. नंबर .....

1.13 निविदा फार्म हेतु प्रस्तुत की गई राशि का विवरण संलग्न कर — रूपये 1,000/– डी.डी. नंबर .....

1.14 निविदाकार के बैंक खाता का विवरण :– बैंक खाता क्रमांक .....
बैंक का नाम एवं ब्रांच .....
आई.एफ.एस.सी कोड .....

2 हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते है/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टो में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....
स्थान.....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
फर्म का नाम.....
पूरा पता .....

क्रमशः.....14

भाग – "ख"

(वित्तीय बीड हेतु)

कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन में बनाये जाने वाले खाद्य सामग्रियो का विवरण

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	कॉफी	100 एम.एल		
2	नेसकॉफी	100 एम.एल		
3	चाय स्पेशल	100 एम.एल.		
4	चाय	100 एम.एल		
5	डिप चाय	100 एम.एल		
6	ग्रीन टी	100 एम.एल.		
7	लेमन टी/ब्लैक टी	100 एम.एल.		
8	बटर मिल्क	200 एम.एल		
9	फ्रुट जुस	200 एम.एल		
10	पोहा (150 ग्राम)	एक प्लेट		
11	जलेबी (150 ग्राम)	एक प्लेट		
12	सादा दोसा (100 ग्राम), सांभर (150 एम.एल.) एवं चटनी	एक प्लेट		
13	मसाला दोसा (175 ग्राम), सांभर (150 एम. एल.) एवं चटनी	एक प्लेट		
14	उत्पम (100 ग्राम), सांभर (100 एम.एल.) एवं चटनी	एक प्लेट		
15	छोले भटूरे – 2 पीस (150 ग्राम), आचार एवं प्याज	एक प्लेट		
16	बालूशाही– 2 पीस (140 ग्राम)	एक प्लेट		
17	इडली–2 पीस (120 ग्राम), सांभर (150 एम. एल.) एवं चटनी	120 ग्राम		
18	दही बड़ा– बड़ा 2 पीस (120 ग्राम), दही (50 एम.एल.)	एक प्लेट		
19	सांभर बड़ा– बड़ा 2 पीस (120 ग्राम), सांभर (150 एम.एल.) एवं चटनी	एक प्लेट		
20	समोसा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
21	दही समोसा–2 पीस (120 ग्राम), दही (50 एम.एल.)	एक प्लेट		
22	आलू चाप – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
23	मूंग बड़ा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
24	कचौड़ी – 2 पीस (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
25	दही कचौडी– कचौडी 2 पीस (120 ग्राम) , दही (50 एम.एल.)	एक प्लेट		

क्रमशः.....15

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
26	वेजीटेबल कटलेट– 2 पीस (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
27	वेजीटेबल सेडविच – 4 पीस	एक प्लेट		
28	वेज ग्रील्ड सेंडविच – (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
29	ब्रेड पकोड़ा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
30	प्याजी बड़ा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
31	उडद बड़ा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
32	साबूदाना बडा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
33	भजिया (150 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
34	पूड़ी – 4 पीस (120 ग्राम) एवं आलू सब्जी (150 ग्राम)	एक प्लेट		
35	बडा पॉव – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
36	पॉव भाजी (बटर के साथ) – 2 पीस (120 ग्राम) एवं भाजी (120 ग्राम)	एक प्लेट		
37	वेज नूडल्स/चाउमीन (120 ग्राम)	एक प्लेट		
38	ढोकला – (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
39	फरा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
40	सादा चीला – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
41	मूंग चीला – 2 पीस (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
42	चना चिल्ली – (100 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
43	भेल (150 ग्राम)	एक प्लेट		
44	पानी पूरी (7 नग)	एक प्लेट		
45	दही पूरी (7 नग)	एक प्लेट		
46	पराठा प्लेन – 2 पीस (120 ग्राम) एवं दही/सब्जी	एक प्लेट		
47	आलू पराठा – 2 पीस (150 ग्राम) एवं दही/सब्जी	एक प्लेट		
48	मेथी पराठा – 2 पीस (120 ग्राम) एवं दही/सब्जी	एक प्लेट		
49	लंच थाली–तवा रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), वेजकरी (120 ग्राम), दाल (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), दही, अचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
50	मिनी स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), दाल फ्राई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), दही, आचार ,पापड–1, मिठाई–1	प्रति थाली		

क्रमशः 16

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
51	स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), जीरा राईस (200 ग्राम), दाल फ्राई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), रायता, दही, आचार ,पापड–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
52	लंच पैकेट–तवा बटर रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), दाल फ्राई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीर सब्जी (120 ग्राम), रायता सीजनल सब्जी (120 ग्राम), दही, आचार ,पापड–1, मिठाई–1	प्रति पैकेट		
53	बफे लंच–तवा बटर रोटी, चावल, दाल फ्राई, ड्राय सब्जी, पनीर सब्जी, रायता सीजनल सब्जी, दही, आचार ,पापड, मिठाई	प्रति थाली		

टीप :– 1. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम दर की गणना की जावेगी।
2. उपरोक्त खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त निविदाकार द्वारा सील पैक्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ यथाः– बिस्किट, चिप्स, कोल्डड्रीक्स, जूस, दूध, लस्सी, छाछ आदि रखना अनिवार्य होगा।

दिनांक .....

स्थान .....

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर व सील

क्रमशः.....17

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक ..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. काम्पलेक्स, सेक्टर–21, अटल नगर, रायपुर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01 सचिव..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, अटल नगर, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स ..... की ओर से श्री..... वल्द..... जिला ..... के निवासी है, जिसे की आगे निविदाकार के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकार द्वारा विपणन संघ में दिनांक ..... 2020 से दिनांक ..... 2021 तक की अवधि के इकरारनामा में दशायी गयी दरों एवं शर्तो को स्वीकार किया गया है।

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छटवी मंजिल में कैन्टीन संचालन हेतु तीन वर्ष के लिए निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए लाईसेंस प्रदाय किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात कैन्टीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 3–3 माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।
2. सफल निविदाकार को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादन किया जाना है। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय करने की असमर्थता मान्य नही की जावेगी अन्यथा आपको विपणन संघ के द्वारा दो वर्षो के लिए ब्लैकलिस्ट किया जावेगा।
3. अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहाँ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जावेगा।
4. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग कैन्टीन व्यवस्था के लिए किया जावेगा एवं किसी भी परिस्थिति में संघ मुख्यालय परिसर का उपयोग अपने कर्मचारियों को ठहराने के लिए नही करेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा जो सामजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।
5. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके आसपास मादक पदार्थो का उपयोग एवं मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लघंन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
6. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
7. निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार को सेवाओ की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नहीं होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नहीं किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
9. निविदाकार द्वारा सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन,परिवर्धन किया जायेगा।
10. निविदाकार को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जल, इलेक्ट्रिशिटी एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त प्रदत्त सुविधाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये। इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एव रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

11. निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगो को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
12. निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
13. निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नहीं करेगा।
14. निविदाकार भू–खण्ड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तो और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावे।
15. निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को भुगतान की गयी प्रतिदेय नहीं होगी।
16. निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।
17. निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति क पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।
18. निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार विपणन संघ के बैठकों में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा।
19. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टॉफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है :–

i स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
ii स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
iii स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।
iv स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत् परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।
v स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।
vi स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहकों से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।
vii सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
viii किचन की तरह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये तथा किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।
ix स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की संपूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

क्रमशः.....19

19 निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी/कर्मचारीयों द्वारा की जावेगी।

20 निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

21 निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमो के अनुरूप विभिन्न विभागो से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

22. निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

23 निविदाकार द्वारा केटिंन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

24 निविदाकार द्वारा अपने ग्राहको को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

25 निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

26 निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी । इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जावेंगे।

27 निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कंट्रोल किया जावेगा।

28 निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

29 निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्रांहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य होगा।

30 निविदाकार द्वारा केन्टीन की नियमित साफ–सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (canteen premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है।

31 निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानो द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम , रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पॉलिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

32 निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या "ग्राहक की प्रतिष्ठा अथव सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

33 निविदाकार यदि (कैन्टीन ऑपरेटर) सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन ऑपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

34 अनुबंध की शर्तो में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओ/खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो उक्त संबंध में सूचना के आधार पर प्रबंध संचालक की अनुमति/अनुशंसा पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमशः.....20

35. निविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखन में किसी भी गंभीर चूक के लिए तथा मिलावट आदि के लिए निविदाकार पर जुर्माना लगाने का अधिकार विपणनसंघ के पास रहेगा।

36 किसी भी स्थिति में कैन्टीन परिसर गंदा दिखाई पड़ने पर या कैन्टीन कर्मचारी आबंटित कार्य करने में लापरवाही कर रहे है, तो उनके मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना संबंधित महीने के लिए लगाया जाएगा।

37 निविदाकार को मेनू, भोजन की आवृत्ति सेवा और कैन्टीन के समय के संबंध में विपणन संघ कैन्टीन संचालन समिति के निर्देशों का पालन करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के बदलाव करने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा और ऐसे मामले में विपणन संघ जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अनुबंध भी रद्द कर सकता है।

38 निविदाकार द्वारा परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामग्री उचित, ताजी और स्वच्छ होने चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार गुणवत्ता वाले होने चाहिए। विपणन संघ किसी भी समय उल्लेखित किसी भी उल्लंघन मामले में, अनुबंध को समाप्त करने और उपयुक्त जुर्माना लगाये जाने का अधिकार रहेगा।

39 भोजन तैयार करने के लिए केवल सर्वोत्तम/ब्रांडेड गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। गैर मिलावटी चीजे, सब्जी, पाउडर, तेल, सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का जांच आवश्यक रूप से समय–समय पर की जावेगी और जहॉ आवश्यक हो सैम्पल की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई जावेगी और परिणाम विपणन संघ की कैन्टीन संचालन समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। तेल का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित है। उल्लेखित किसी भी शर्त/निर्देश के उल्लंघन के मामले में अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा और संघ द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

40 खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को कैन्टीन संचालन समिति द्वारा किसी भी समय जांच सकता है और यदि उप मानक सामग्री पाई जाती है, तो इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संस्थान के अनुबंध को समाप्त करने तथा जुर्माना लगाने का अधिकार होगा ।

41 कैन्टीन का नियमित निरीक्षण कैन्टीन संचालन समिति द्वारा किया जावेगा। कैन्टीन संचालन समिति मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकेगा तथा अनुबंध को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकेगा और उक्त आधार पर प्रबंध संचालक की अनुमति/अनुशंसा पर सेवा समाप्त करने का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

उक्त शर्तो के अंतर्गत अटल नगर रायपुर के सेक्टर 21, सी.बी.डी., कॉम्पलेक्स अटल नगर रायपुर में केन्टीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में व्यवसाय संचालन के लिए अनुबंध उभय पक्षो की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

हस्ताक्षर एवं सील

सचिव
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
मुख्यालय अटल नगर रायपुर

हस्ताक्षर एवं सील

फर्म का नाम
पता :–